न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/344/2018

उनवान

1. लक्ष्मी पुत्री घासी पत्नी मीठु निवासी–सुरास हाल निवासी– हमना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
2. चन्दा पुत्री घासी, पत्नी रामेश्वर ओड निवासी–सुरास हाल निवासी सुरास गुमोरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
3. रेखा पुत्री घासी, पत्नी अम्बालाल ओड निवासी सुरास हाल निवासी–ओडा का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. शम्भुलाल पिता घासी ओड निवासी सुरास, तहसील माण्डल हाल निवासी– कच्ची बस्ती, कांवाखेडा, भीलवाड़ा।
2. शंकर पिता घासी, निवासी सुरास, तहसील माण्डल हाल निवासी– कच्ची बस्ती, कांवाखेडा, भीलवाड़ा।
3. सत्यनरायण पिता घासी निवासी सुरास, तहसील माण्डल हाल निवासी– कच्ची बस्ती, कांवाखेडा, भीलवाड़ा।
4. छोटी पत्नी घासी निवासी सुरास तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा।
5. नानुराम पिता पन्ना जाट निवासी–किरंतपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. राजु पिता देबीलाल दरोगा निवासी सुरास, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
7. विजयशंकर पिता हरिशंकर शर्मा, निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
8. लादु पिता बंशी सुवालका निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
9. कालु पिता गोपी दरोगा, निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहीलदार माण्डल, जिला भीलवाड़।
11. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक महोदय, उपंजीयक कार्यालय माण्डल, जिला भीलवाड़ा।

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण
संख्या 113/2014 निर्णय दिनांक 01.06.2018

अभिभाषक :

1.श्री श्यामलाल वैध , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी अनुपस्थित

आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा
दिनांक 18.06.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के संयुक्त हक, अधिकार एवं आधिपत्य की पुश्तैनी एवं मौरूसी कृषि आराजियात वाके ग्राम सुरास, पटवार हल्का सुरास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा मे आराजी संख्या 1188 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 1189 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, 1190 रकबा 05 बिस्वा, 1191 रकबा 05 बिस्वा, 1192 रकबा 01 बिघा 03 बिस्वा, 1193 रकबा 03 बिघा 10 बिस्वा कुल किता 06 रकबा 07 बिघा 17 बिस्वा स्थित है।

2. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

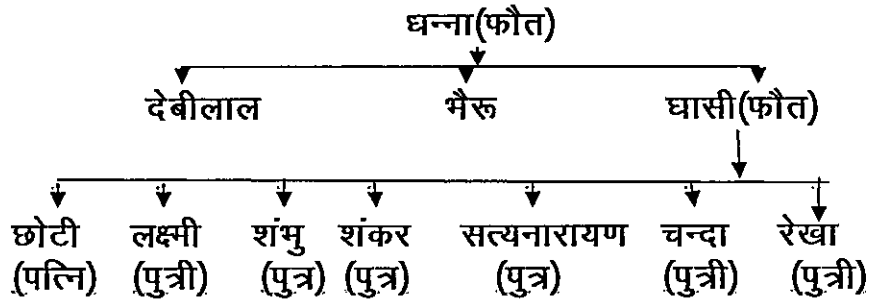

उपरोक्त जीवित वारिसान के सजरे के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 कि परिवार में मुख्य धन्ना जी हुये जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके तीन पुत्र देबीलाल भैरू एवं घासी हुये है। घासी जी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके तीन पुत्रिया वादीगण एवं तीन पुत्र व एक पत्नी जो प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 है।

3. वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार दादा धन्ना जी के समय की है तथा धन्ना जी की मृत्यु उपरांत वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का विरासत से नामान्तकरण देबीलाल, भैरू घासी के नाम पर खोला गया, जिसमें घासी का 1/3 हक हिस्सा निहित था तथा घासी की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने आपको घासी के वारिसान होना बताकर उक्त आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण संख्या 1245 दिनांक 28–12–2004 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर दर्ज करवा ली है. जबकि तत्समय वादीगण जो कि स्व० घासी की जायन्दा पुत्रिया जीवित थी तथा उक्त आराजीयात पुश्तैनी होने तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादीगण धन्ना की पोत्रियां होने से वादीगण का उक्त आराजी में जन्म से हक अधिकार निहित है। इसलिए विरासत से नामान्तकरण संख्या 1245 में वादीगण का नाम भी दर्ज होना चाहिए था, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत करके अपने नाम पर खुलवा लिया, तथा उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने वादीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करने की गरज से उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 05 को विक्रय कर दी और उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 05 ने उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 को विक्रय कर दिया, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 के नाम पर दर्ज हो गया. जबकि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात धन्ना जी के समय की होकर विरासत से वादीगण के पिता घासी को प्राप्त हुयी, घासी जी का उक्त आराजी में 1/3 एक बटा तीन हक हिस्सा निहित था तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का प्रत्येक का 1/21 वा हक हिस्सा निहित है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजीयात अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार की संपदा है।

4. वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित कृषि आराजियात पुश्तैनी एवं मौरूसी कृषि भूमि होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार की संयुक्त स्वामित्व एव आधिपत्य की है, जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/21 एक बटा इक्कीस हक हिस्सा निहित होकर अपने हक हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और उपरोक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की होकर पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें सभी पक्षकारान् का संयुक्त रूप से कब्जा एवं उपभोग चला आ रहा है. जिसका विभाजन नहीं हो रखा है. एवं विधिनुसार विभाजन नहीं होने की सुरत में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से उपरोक्त वर्णित आराजीयात को विक्रय, रहन इत्यादि नहीं कर सकते है. एवं इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कृषि भूमि बाबत् वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में रदोबदल अथवा हस्तान्तरण करने का विधिक अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है। इसके बावजुद भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने प्रतिवादी संख्या 05 को विक्रय कर दी एवं प्रतिवादी संख्या 05 ने प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 को विक्रय कर दी. ऐसे विक्रय एवं उसके आधार पर खोले गये नामानतकरण वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले प्रांरभ से ही शून्य, अवैध होकर निष्प्रभावी है। अतः वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात के बाबत् विरासत से खोला गया नामान्तकरण संख्या 1245 दिनांक 28–12–2004 एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

संख्या 05 को विक्रय के पश्चात् खोला गया नामान्तकरण संख्या 1696 दिनांक 08–12–2010 एवं उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 के नाम पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 1850 दिनांक 05–09–2012 को वादीगण के हक हिस्से के शून्य, अवैध, अकृत एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण प्रत्येक को 1/21 एक बटा इक्कीस हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है और तद्नुसार राजस्व रेकॉर्ड में बहैसियत खातेदार अंकन करवाने के अधिकारी है।

5. दिनांक 10–06–2014 को प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 मौके पर आये तथा प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 ने वादीगण को कहा कि उक्त आराजीयात हमारे नाम पर दर्ज हो गयी है. इसलिए उक्त आराजीयात का कब्जा छोड़ दो. जिस पर वादीगण ने कहा कि उक्त आराजीयात तो हमारी पुश्तैनी है तथा हमारा भी हक हिस्सा निहित है. तो प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 ने कहा कि उक्त आराजीयात तो हमने खरीद रखी है. तथा धमकी दी कि 05 दिन में उक्त आराजीयात से अपना कब्जा हटा लेना, अन्यथा जबरन बेदखल कर देंगे तथा उक्त आराजीयात को अन्य लोगों विक्रय रहन बय बख्क्षीस द्वारा हस्तान्तरित कर देंगे। इस पर वादीगण ने समस्त राजस्व रेकॉर्ड की नकले ली. तो वादीगण को जानकारी हुयी कि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार ने विरासत का नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवाकर प्रतिवादी संख्या 05 को विक्रय कर दी एवं प्रतिवादी संख्या 05 ने प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 को विक्रय कर दी तथा अब जबरन वादीगण को बेदखल करने एवं उक्त आराजीयात को अन्य लोगों को विक्रय रहन बक्षीस करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी हासिल करना न्यायहित में आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से की पुश्तैनी एवं मौरूसी जायदाद को किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय, रहन बय बख्क्षीस या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे तथा न ही जबरन वादीगण को उसके हक हिस्से की आराजीयात से बेदखल करे, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा राजस्व रेकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करावे। इस बाबत् प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

6. यह कि प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसमे प्रतिवादी संख्या 10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, माण्डल, एवं प्रतिवादी संख्या 11 उपपंजीयक महोदय, माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा भी पक्षकार है, जिनके विरूद्ध कोई भी वाद एंव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अस्सी जा०दी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने की वजह से बिना नोटिस दिये ही वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसको न्यायालय में विचारणार्थ ग्रहण किये जाने हेतु अनुमति आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० का अलग से प्रस्तुत है। उक्त वादपत्र घासी के 1/3 हक हिस्से के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

7. अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि – (क) कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिकी सादिर फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित कृषि आराजियात का प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर खोला गया विरासत का नामान्तकरण संख्या 1245 दिनांक 28–12–2004 एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 को विक्रय के पश्चात् खोला गया नामान्तकरण संख्या 1696 दिनांक 08–12–2010 एवं उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 के नाम पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 1850 दिनांक 05–09–2012 को वादीगण के हक हिस्से के शून्य, अवैध, अकृत एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण प्रत्येक को 1/21 एक बटा इक्कीस हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण का नाम अंकन फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

(ख) कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित कृषि आराजियात में वादीगण प्रत्येक के 1ध्21 वां हक हिस्से के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा वादीगण को उसके हक हिस्से की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे व वादीगण को उक्त विवादित आराजियात अथवा उसके किसी भी भू–भाग से बेदखल न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 10 व 11 राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करे तथा यदि दौराने कार्यवाही वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त विवादित कृषि आराजियात या उसके किसी भू–भाग से जबरन बेदखल कर उक्त विवादित आराजीयात को पुनः विकय रहन बय बख्क्षीस कर दिये जाने की अवस्था मे जरिये आदेशात्मक आज्ञा की डिकी के जरिये कब्जा वादीगण को सिपूर्द कराया जावे तथा पुनः राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण का नाम अंकित

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

किये जाने की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे।

8. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद पत्र अस्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

9. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलाण्टगण को पूर्व मे नहीं थी तथा केम्प के दौरान भी अपीलाण्टगण को यह ही बताया गया कि प्रकरण मे राजीनामा होगा तो ही निर्णय होगा अन्यथा न्यायालय मे नियत पेशी पर पत्रावली निकल जायेगी। प्रकरण जैर बहस में दिनांक 19.4.2018 के पश्चात दिनांक 19.07.2018 तक की पेशी नियत थी उक्त दिनांक 19.07.2018 को अपीलाण्टगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तो उन्हें यह जानकारी दी गई कि प्रकरण को दिनांक 01.06.2018 को राजस्व केम्प सुरास में आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत खारिज कर दिया गया तत्पश्चात दिनांक 01.08.2018 को निर्णय एवं डिक्री की नकल बाबत आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 13.08.2018 को निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दरअवधि प्रस्तुत की जा रही हैं फिर भी जानकारी के अभाव मे हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त हक अधिकार एवं आधिपत्य की पुश्तैनी कृषि आराजियात ग्राम सुरास में स्थित हैं। वादीगण एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता एवं 4 के पति श्री घासी पुत्र धन्ना ओड के नाम ग्राम सुरास में कृषि आराजियात स्थित हैं जिसके आराजी नम्बर 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193 है श्री घासी के निधन के पश्चात उपरोक्त वर्णित आराजियात का नामान्तरण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम खोल दिया गया जबकि वादीगण भी श्री घासी की पुत्रिया होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण अकेले प्रतिवादी संख्या लगायत 4 के नाम खोल देने के कारण प्रतिवादी संख्या लगायत 4 ने वादीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करने की गरज से उक्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दी और उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 5 ने उक्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 को विक्रय कर दी। हालाकि उक्त आशय का विक्रय वादीगण के हक हिस्से के प्रति शुन्य एवं बेअसर हैं क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजियात में घासी ओड का 1/3 हक हिस्सा निहित था तद्नुसार प्रत्येक वादीगण का 1/21वां हिस्सा बनता है। तद्नुसार वादीगण उक्त हक हिस्सेनुसार काबिज चले आ रहे हैं इस कारण वादीगण ने उनके हक हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 के नाम निष्पादित विक्रयपत्र को शुन्य अवैध एवं अकृत वं निस्प्रभावी घोषित किये जाने एवं प्रत्येक वादीगण को उपरोक्त वर्णित आराजियात में उनके 1/21वें हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत अनुतोष चाहा है तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही है कि प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 आराजियात जैर बहस को अन्य को विक्रय हस्तान्तरित नहीं करें एवं वादीगण के कब्जे, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्सुत नहीं किया गया प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्ग आदेश 7 नियम 11 जा०दी का प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली मे कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के जवाबदावा हेतु एवं प्रतिवादी संख्या 9 की तलबी हेतु नियत की गई। एवं पत्रावली मे दिनांक 19.04.2018 की पेशी के पश्चात् वादीगण को दिनांक 19.07.18 की पेशी बताई गई, तत्पश्चात दिनांक 01.06.2018 को उक्त पत्रावली राजस्व अदालत केम्प सुरास मे प्रस्तुत हुई जहां अपीलाण्टगण भी उपस्थित हुई एव अपीलाण्टगण को पीठासीन अधिकारी द्वारा राजीनामा बाबत प्रकरण को निस्तारित करने बाबत कहा तो अपीलाण्टगण ने कहा कि उनके हक हिस्से अनुसार आराजियात उनके नाम दर्ज कर दी जावे तो वह राजीनामा करने को तैयार हैं। इस पर पीठासीन अधिकारी ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलाण्टगण को कहा कि अगर प्रतिवादीगण उनके नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाने के लिए तैयार होंगे तो प्रकरण राजीनामे से निस्तारित कर देंगे. अन्यथा न्यायालय में पेशी पर अपने गवाह प्रस्तुत कर देना। इस पर अपीलाण्टगण इसी विश्वास में रहे कि प्रतिवादीगण उनके नाम खातेदारी दर्ज कराने के लिए राजी जो जायेंगे तो उनके नाम खातेदारी दर्ज हो जायेगी अन्यथा प्रकरण मे न्यायालय मे पेशी चलेगी। लेकिन दिनांक 01.06.2018 को उक्तानुसार कोई कार्यवाही नहीं कर प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जा०दी० पर बहस सुनना वर्णित करते हुए तथा यह वर्णित करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 9 की तलबी निर्णय हो जाने से बन्द की जाती हैं तत्पश्चात प्रकरण मे अपीलाण्टगण को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादीगण अपीलाण्टगण के वादपत्र को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के प्रार्थनापत्र के आधार पर खारिज कर निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार का निर्णय पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं लोक अदालत केम्प की मंशा के विपरीत होने से पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त होने योग्य है।

14. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण जैर बह समे अपीलाण्टगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया गया. अपीलाण्टगण केवलमात्र राजीनामा हेतु ही केम्प मे उपस्थित हुई उनके द्वारा न तो आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के प्रार्थनापत्र के बाबत कुछ कहा ही नहीं, न ही केम्प में इस प्रकार से राजीनामे की कहकर आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत प्रकरण को निस्तारित करने का कोई प्रावधान ही हैं केवल मात्र अपीलाण्टगण को मुगालते मे रखते हुए उन्हें यह बताया गया कि प्रकरण मे राजीनामा होगा तो कि प्रकरण निस्तारित होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहते हुए प्रकरण को आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत खारिज कर दिया गया तथा अपने निर्णय मे मनमकसूद तौर निर्णय होने से पहले ही निर्णय बताकर प्रतिवादी संख्या 9 की तलबी बन्द कर दी। इस प्रकार से पारित निर्णय एवं डिक्री पुरी तरह विधि विरूद्ध होने एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है

15. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का पूर्ण अवलोकन करना चाहिए था केवल मात्र टाईपिंग त्रुटि के कारण इन्तकाल संख्या 1246 की जगह 1245 तथा 1851 की जगह 1850 टंकित हो जाने मात्र से वादपत्र किसी प्रकार खारिज किये जाने योग्य नही था. क्योंकि जिस प्रकार का वादपत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलाण्टगण द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों के तहत प्रस्तुत किया गया एवं उसमें जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उन्हें दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने केवल तकनीकी दृष्टिकोण पर चलते हुए यह वर्णित कर दिया कि इन्तकाल सख्या 1245 एवं 1850 वादीगण की आराजियात एवं हक अधिकारों से संबंधित नहीं है। इस कारण वादपत्र आदेश 7 नियम 11 जा.0दी० के तहत खारिज कर दिया। इस प्रकार का विवेचन पुरी तरह न्यायिक मंशा के विपरीत हैं केवल मात्र टंकण त्रुटि को आधार मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आशय का निर्णय पारित किया हैं दस्तावेजात को देखने की भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने कोई चेष्टा नहीं की हैं. क्योंकि जो दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये उनमे घासी की मृत्यु के पश्चात खोला गया इन्तकाल एवं उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के हक में निष्पादित विक्रयपत्र के आधार पर खोला गया इन्तकाल एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के हक मे निष्पादित विक्रयपत्र के आधार पर खोला गया इन्तकाल की प्रतियां भी प्रस्तुतशुदा है। लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी दस्तावेजात को देखे बिना ही केवल मात्र यह वर्णित कर दिया कि वादीगण ने इन्तकाल संख्या 1245 एवं 1850 को अवैध एवं शुन्य घोषित कराने का वादपत्र प्रस्तुत किया हैं जो वादीगण के हक अधिकार से संबंधित होने के कारण वादपत्र मे चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं विधि संज्जत नही होने के कारण वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार का माननीय अधिनस्थ न्यायालय का विनिश्चय पूर्णतया विधि विरूद्ध हैं केवल मात्र तकनीकी टकण त्रुटि के आधार पर उक्त प्रकार का निर्णय कदापि पारित नहीं किया जा सकता हैं माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी माना है कि वादीगण ने उक्त त्रुटि को संशोधन नहीं कराया हैं इस प्रकार से माननीय अधिनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की पुरी जानकारी थी कि उक्त त्रुटि टंकण त्रुटि हैं फिर भी उक्त टंकण त्रुटि को आधार मान जो निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं वह अपास्त होने योग्य है।

16. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि लोक अदालत केम्प के दोरान माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पक्षकारान की कोई बहस सुनी गई, न ही उक्तानुसार वादपत्र को निर्णित करने का लोक अदालत मे वादीगण ने कोई स्वीकृति ही दी थी. पत्रावली आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के जवाब हेतु नियत थी तो आगामी पेशी पर अपीलाण्टगण की ओर से जवाब भी प्रस्तुत किया जाता एवं वांछित संशोधन भी करवाया जाता केवल मात्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

टंकण त्रुटि हो जाने के कारण जबकि दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्टगण का वादपत्र पुरी तरह साबित था लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया हैं वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

17. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आदेश 7 नियम 11 जा०दी० मे जो प्रावधान दिये गये हैं उनके तहत कोई आधार प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित नहीं किये हुए हैं फिर भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 9 की तलबी नही होते हुए भी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का कोई जवाबदावा पत्रावली पर नही होते हुए भी वादपत्र को खारिज करने मे भारी भूल फरमाई हैं कानूनन प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 जा०दी0 के तहत बहुत सीमीत अधिकार दिये हैं उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय को वादपत्र मे वर्णित समस्त तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाते हुए समग्र तथ्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं कर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र लोक अदालत केम्प के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रकरण का निस्तारण बता, जो निर्णय पारित किया है वह अपास्त होने योग्य है।

18. अतः सादर निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्टगण स्वीकार फरमाइ जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त फरमाते हुए अपीलाण्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को निस्तारण हेतु माननीय अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे। तद्नुसार स्थगन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को भी गुणावगुण पर निर्णित किये जाने बाबत आदेश प्रदान करावें।

19. हमनें प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कि उक्त अनवान की अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलाण्टगण को पूर्व मे नहीं थी तथा केम्प के दौरान भी अपीलाण्टगण को यह ही बताया गया कि प्रकरण मे राजीनामा होगा तो ही निर्णय होगा अन्यथा न्यायालय मे नियत पेशी पर पत्रावली निकल जायेगी। प्रकरण जैर बहस में दिनांक 19.4.2018 के पश्चात दिनांक 19.07.2018 तक की पेशी नियत थी उक्त दिनांक 19.07.2018 को अपीलाण्टगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तो उन्हें यह जानकारी दी गई कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण को दिनांक 01.06.2018 को राजस्व केम्प सुरास में आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत खारिज कर दिया गया तत्पश्चात दिनांक 01.08.2018 को निर्णय एवं डिक्री की नकल बाबत आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 13.08.2018 को निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दरअवधि प्रस्तुत की जा रही हैं फिर भी जानकारी के अभाव मे हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।

20. प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक होने से न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

21. हमनें प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी की एकपक्षीय एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रकरण मे वाद के बिन्दु नियत है। जिनका निर्धारण जवाब, तनकियात/कानुनी बिन्दुओं व साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका विधिवत नहीं है। व निर्धारित विधिक प्रकिया का उलंघ्घन किया गया है। प्रकरण मे वाद के कारण निहित है जिनका निर्धारण जवाब, साक्ष्य से ही हो सकता है एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का निर्धारण भी वाद के जवाब व साक्ष्य से ही होना है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु निहित नहीं थे फिर भी आदेश 7 नियम 11 मे खारीज कर दिया गया है जो उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

आदेश

22. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2018 को अपास्त किया जाता है। एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे पक्षकारों की विधिवत तामीम करवाकर पक्षकारो का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, जवाब का अवसर प्रदान करते हुए कानुनी बिन्दुओं/तनकियात कायम कर साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

विस्तृत विवेचन के साथ विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित रहे।

23. आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया ।

(पी0आर0मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा